आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

08.11.2018

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0–04/15–16
मुकेश कुमार साहा वगै0
बनाम
हरि प्रसाद साहा वगै0
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक मुकेश कुमार साहा, पिता– बलराम साहा, सा0– मखानी, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1069/2014–15 में दिनांक 27.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 28.08.2015 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
कसवा	306	238	00–00–12
		239	00–04–05
		240	00–02–08

अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है। फलस्वरूप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस एवं सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गई है, जो निम्न है:–

1. निबंधित केवाला सं0 939/15 एवं 940/15, दिनांक 23.02.2015 की छाया प्रति।
2. नामांतरण वाद सं0 1069/2014–15 की सत्यापित प्रतिलिपि की प्रति।
3. मूल आवेदन तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि की प्रति।
4. शुद्धि पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि की प्रति।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– कसवा के खाता सं0 306, दाग नं0– 238, रकवा 12 धूर, दाग नं0– 239 का रकवा 04 कट्ठा 05 धूर एवं दाग नं0– 240 का रकवा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन के संबंध में वर्ष 2014 में उत्तरवादीगण के द्वारा दाग नं0– 239 में 03 कट्ठा ½ धूर तथा दागनं0– 238 में 12 धूर कुल रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर का नामांतरण वाद दायर किया गया था। उक्त नामांतरण वाद के विरूद्ध अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, राजमहल के समक्ष आपत्ति आवेदन दायर किये थे। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा उत्तरवादीगण के नाम से नामांतरण कर दिये हैं।

उत्तरवादीगण यथा हरि प्रसाद साहा एवं जानकी साहा ने प्रश्नगत जमीन उत्तराधिकारी मार्फत प्राप्त किये हैं तथा नामांतरण कराये है, जबकि गत गेंजर्स सर्वे खतियान में वर्णित जमीन मौजा कसवा के दाग नं0– 239 रकवा 04

Scanned with CamScanner

कब्जा 05 धूर एवं दाग नं0– 240 रकवा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन के स्वामी मित्तन साह है, जो अपीलार्थी के पूर्वज हैं तथा उक्त जमीन पर मित्तन साह के वारिसान का दखल कब्जा है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा गलत ढंग से दाखिल–खारिज किया गया है। अन्त में उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरवादीगण अंचल कार्यालय से पूर्व दिनांक (Ante dated) दाखिल खारिज आदेश प्राप्त किये हैं तथा उत्तरवादी का दाग नं0– 239 रकवा 04 कट्ठा 05 धूर तथा दाग नं0– 240 रकवा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन पर कभी भी दखल नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0– 1069/2014–15 में दिनांक 27.03.2015 के पारित आदेश को अपास्त (set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी प्राप्त है। उत्तरवादी की ओर से दिनांक 08.11.2018 को कागजात की सूची दाखिल की गई है, जो निम्न है:–

1. क्रि0मि0 वाद सं0 261/2014 बलिराम साहा–बनाम–जानकी साह आदेश दिनांक 21.08.2014 की छाया प्रति।
2. जानकी साहा के नाम लगान रसीद, जमाबंदी नं0– 306, रकवा 02 कट्ठा 12½ वर्ष 2015–16 मौजा– कसबा की छाया प्रति।
3. हरि प्रसादसाह के नाम लगान रसीद रकवा 01 कट्ठा वर्ष 2015–16 मौजा कसवा की छाया प्रति।
4. मित्तन साह व महावीर साह के नाम लगान रसीद जो जमाबंदी नं0– 306 रकवा 07 कट्ठा 05 धूर वर्ष 2007–08 एवं 2015–16 की छाया प्रति।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा कसवा के खाता सं0 306, दाग नं0– 238 में कुल रकवा 12 धूर, दाग नं0– 239 में रकवा 04 कट्ठा 05 धूर एवं दाग नं0– 240 में रकवा 02 कट्ठा 08 धूर कुल रकवा 07 कट्ठा 05 धूर जमीन के खतियानी रैयत मितन साह वो महावीर साह, दोनों के पिता– स्व0 खेदु साहा है। उत्तरवादीगण को उत्तराधिकारी के रूप में हरि प्रसाद साहा एवं जानकी साहा को प्राप्त हुआ है।

अतः उत्तरवादी का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1069/2014–15 में दिनांक 27.03.2015 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, राजमहल से मूल अभिलेख प्राप्त। अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि आवेदित जमीन का मिलान खतियान एवं पंजी II से किया, जो सही है। जमाबंदी रैयत मितन साह वो महावीर साह, दोनों पिता– स्व0 खेदु साह है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी रैयत महावीर साह के उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित जमीन पुत्र जानकी साह एवं पौत्र हरि प्रसाद साहा को रकवा 03 कट्ठा 12½ धूर जमीन प्राप्त हुआ है एवं उनके दखल कब्जा में भी है। अंचल निरीक्षक ने भी उक्त प्रतिवेदन को सत्यापित एवं अनुशंसा किये है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल ने भी उत्तरवादीगण जानकी साह एवं हरि प्रसाद साह के नाम से नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह प्रतीत होता हैं कि उक्त वाद उत्तराधिकार एवं स्वत्व से संबंधित है। नामांतरण एवं पंजी– II में Entry केवल लगान के भुगतान के लिए होता है। अपीलार्थी चाहें तो सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner